न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू :—12.03.2010

मुकदमा नं0 :— 13/2010

पीठासीन अधिकारी — अनूपसिंह

R.A.S.

दुर्गीदेवी वगैराह बनाम दामोदर वगैराह

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. का निर्णय

उपस्थित :—1. श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट प्रार्थी/प्रतिवादी सं014 ता 17
2.श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण/ वादीगण

निर्णय

दिनांक :—17.08.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/ प्रतिवादी सं0 14 ता 17 ने दिनांक 20.05.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि दावा हाजा उनवानी दुर्गीदेवी वगैराह बनाम दामोदर वगैराह मुकदमा नं0 13/2010 माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।दावा धारा 11 सीपीसी रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से वाधित है, वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 2001 रकबा 0.17 है0, 2002 रकबा 0.45 है0, 2003 रकबा 0.20 है0, 2004 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह, 2005 रकबा 0.17 है0, 2006 रकबा 0.40 है0, 2183 रकबा 0.17 है0, 2184 रकबा 0.35 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी के सम्बन्ध में पूर्व में दावा दामोदर बनाम शम्भूदयाल मुकदमा नं0 66/2007 माननीय न्यायालय से बाद सुनवाई दिनांक 18.08.2008 को डिक्री हो चुका है, जिसमें पक्षकारों के अधिकार अन्तिम रूप से निर्णीत किये जा चुके हैं, जिसकी प्रथम अपील उनवानी नारायणलाल बनाम दामोदर अपील संख्या 141/2008 भी माननीय न्यायालय राजस्व अपील

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 15.07.2009 को भी निर्णीत की जा चुकी है, जिसमें माननीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2008 को यथावत रखा गया है, उक्त दावे में दुर्गी देवी प्रतिवादी सं013 थी तथा अपील में भी दुर्गीदेवी रेस्पोडेन्ट सं0 13 थी, उक्त निर्णय की दुर्गीदेवी ने कोई अपील पेश नहीं की, दावा हाजा व पूर्ववर्ती दावे में वाद की विषय वस्तुत अर्थात वादग्रस्त भूमि तथा पक्षकार समान हैं, पक्षकारों के अधिकार सभी पक्षों को सुनकर अंतिम रूप से निर्णीत किये जा चुके हैं, जिन पर अपीलीय न्यायालय ने भी अपनी मोहर लगाई है, पक्षकार पूर्व में निर्णीय हुए प्रकरण को पुनः दावा हाजा के माध्यम से रीओपन कराना चाहते हैं, जबकि रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त के अनुसार कोई भी मामला जो पूर्ववर्ती दावे में सुनकर अंतिम रूप से निर्णीत किया जा चुका है, उसे पुनः दावे के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता;. ना ही न्यायालय को इस प्रकार के दावों की पुनः सुनवाई करने का अधिकार है, इसलिए दावा हाजा उनवानी दुर्गीदेवी बनाम दामोदर वगैराह इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि दावा उनवानी दर्गीदेवी बनाम दामोदर वगैराह मुकदमा नं0 13/2010 खारिज फरमाया जावे तथा साथ में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा भी खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण/ वादीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 11 जा0दी0 का जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 जिस प्रकार से तहरीर किया है, गलत है, अस्वीकार है। वउनवानी दुर्गी बनाम दामोदर मुकदमा नं0 13/2010 माननीय न्यायालय में चलने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व में दावा दामोदर बनाम शम्भूदयाल मुकदमा नं0 66/2007 में दिनांक 18.08.2008 को डिक्री का वादीगण को कोई इल्म नहीं है तथा उक्त प्रकरण में वादीगण के अधिकार निर्णीत नहीं हुए हैं तथा वादीगण को बिना सुने व बिना जबाव फाईल का अवसर दिये दिनांक 18.08.2008 को डिक्री पारित की थी। जिसमें वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बाध्य नहीं है तथा वादीगण को नारायणलाल बनाम दामोदर अपील संख्या 141/2008 थी। माननीय राजस्व अपील अधिकारी की कोई जानकारी नहीं थी तथा वादग्रस्त भूमि में पक्षकार समान नहीं है तथा उक्त दावे में पक्षकारों के अधिकार सुनकर अन्तिम रूप से निर्णित नहीं किये गये हैं। वादीगण उक्त दावे को रीओपन करना नहीं चाहते हैं ना ही कोई दावा कानूनन रीओपन होता है, बल्कि वादीगण ने अपने अधिकारों के लिए यह दावा पेश किया है।

विशेष विवरण :-

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि उपरोक्त उनवानी दावा व पूर्ववर्ती दावा वउनवानी दामोदर बनाम शम्भूदयाल की विषय वस्तु, सब्जेक्टर मेटर व पक्षकारान भिन्न- भिन्न हैं तथा पूर्ववर्ती दावा व उक्त प्रकरण में दरख्वास्त देहन्दा श्यामसुन्दर, लोकेश सिंघल, राजेश सिंघल व नन्दकिशोर शर्मा पक्षकार नहीं है तथा पूर्ववर्ती वाद दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का था तथा वर्तमान दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का है तथा पूर्ववर्ती वाद में वादीगण को सुनकर मेरिट पर निस्तारण नहीं किया गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि उक्त दर0 प्रतिवादीगण ने उक्त दावा दायरी के करीब 12 वर्ष पश्चात प्रकरण में डिले करने के लिए पेश की गयी है, जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र बिना शपथ पत्र पेश किया है, जो कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/ प्रतिवादी सं0 14 ता 17 ने प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थीगण/ प्रतिवादी सं0 14 ता 17 ने प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे.1996 एस.सी. पेज 85, डी.एन.जे.2015 एस.सी. पेज 1088, डब्लू.एल.सी. 2016 (i) पेज 30 पेश किये हैं। वकील इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण/ वादीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 66/2007 उनवानी दामोदर बनाम शम्भूदयाल वगैराह दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 29.07.2008 को जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा के द्वारा विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2001 रकबा 0.17 है0, 2002 रकबा 0.45 है0, 2003 रकबा 0.20 है0, 2004 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह, 2005 रकबा 0.17 है0, 2006 रकबा 0.40 है0, 2183 रकबा 0.17 है0, 2184 रकबा 0.35 है0, वाके ग्राम नौरंगाबाद (श्रीमहावीरजी) तहसील हिण्डौन के खातेदारों के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज उनके हिस्सों के अनुसार विभाजन करने के लिए भू- अभिलेख निरीक्षक वृत श्रीमहावीरजी को 500/-रूपया फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये कि मुताविक राजस्व अभिलेख वादी एवं प्रतिवादी सं01 ता 12 के मध्य नियमानुसार सरस-नरस से विभाजन कर अलग अलग खाते कायम कर बंटवारा स्कीम मय नक्शा दो प्रतियों में दिनांक 18.08.2008 से पूर्व न्यायालय में पेश करें। उक्त प्रकरण में प्रार्थीया प्रतिवादी सं013 है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 66/2007 उनवानी दामोदर बनाम शम्भूदयाल वगैराह दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 29.07.2008 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री के आधार पर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत श्रीमहावीरजी से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर उक्त प्रकरण में दिनांक 18.08.2008 को फाईनल डिक्री जारी कर दी गई। जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहाँ अपील संख्या 141/2008 उनवानी नारायणलाल बनाम दामोदर वगैराह पेश की जिसमें भी प्रार्थीया पक्षकार होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुई तथा उक्त अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहाँ से दिनांक 15.07.2009 को अपील खारिज करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2008 न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन उचित होने से यथावत बहाल रखने के आदेश पारित किये हैं जो फोटो प्रति माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहाँ अपील संख्या 141/2008 उनवानी नारायणलाल बनाम दामोदर वगैराह में दिनांक 15.07.2009 को पारित निर्णय व डिक्री की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है।

जमाबन्दी सं0 2063-66 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2001 रकबा 0.17 है0, 2002 रकबा 0.45 है0, 2003 रकबा 0.20 है0, 2004 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह, 2005 रकबा 0.17 है0, 2006 रकबा 0.40 है0, 2183 रकबा 0.17 है0, 2184 रकबा 0.35 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामनिवास दामोदर शम्भूदयाल दयानन्द परसराम सुरेश पि0 चम्पालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम हिस्सा बराबर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 241 -विरासत- 22.08.2008 से रामनिवास हिस्सा 1/6 के बजाय मोहनलाल नारायणलाल विजयकृष्ण वीरेन्द्र अनिल कुमार पि0 रामनिवास रमादेवी सीमादेवी पुत्रियॉ रामनिवास कमलादेवी बेबा रामनिवास हि0ब0हि0 1/6 स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा नोट नामान्तकरण सं0 242 - विभाजन- 08.09.2009 से खसरा नम्बर 2003/2811

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 0.05 है0, 2006/2815 रकबा 0.07 है0, 2183 रकबा 0.17 है0, 2184/2819 रकबा 0.03 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.32 है0 दामोदर पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी, व खसरा नम्बर 2184 रकबा 0.32 है0 शम्भूदयाल पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी, व खसरा नम्बर 2001/2807 रकबा 0.02 है0, 2002/2808 रकबा 0.12 है0, 2005/2814 रकबा 0.08 है0, 2006 रकबा 0.12 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.32 है0 दयानन्द पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी, एवं खसरा नम्बर 2002/2809 रकबा 0.07 है0, 2003 रकबा 0.12 है0, 2005/2813 रकबा 0.01 है0, 2006/2816 रकबा 0.12 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.32 है0 परसराम पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी, एवं खसरा नम्बर 2001 रकबा 0.15 है0, 2002 रकबा 0.15 है0, 2006/2817 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 सुरेशचन्द पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी, एवं खसरा नम्बर 2002/2810 रकबा 0.11 है0, 2003/2812 रकबा 0.03 है0, 2004 रकबा 0.01 है0, 2005 रकबा 0.08 है0, 2006/2818 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.32 है0 कमलादेवी पत्नि रामनिवास मोहनलाल नारायणलाल विजयकृष्ण वीरेन्द्र अनिल कुमार पि0 रामनिवास रमादेवी सीमादेवी पुत्री रामनिवास जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी के नाम स्वीकार हुआ। तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 257– बेचान–06.10.2009 से दयानन्द पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण निवासी महावीरजी के बजाय खसरा नम्बर 2001/2807 रकबा 0.02 है0, 2002/2808 रकबा 0.12 है0, 2005/2814 रकबा 0.08 है0, 2006 रकबा 0.12 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.32 है0 की खातेदारी श्यामसुन्दर पुत्र निरासीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी हि01/2 व लोकेश सिंघल पुत्र राधेश्याम जाति महाजन निवासी श्रीमहावीरजी हि01/2 के नाम स्वीकार की गई। तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 258– बेचान–06.10.2009 से परसराम पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी के स्थान पर सम्पूर्ण किता 4 कुल रकबा 0.32 है0 की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

श्यामसुन्दर पुत्र निरासीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी हि01/2 व राजेश सिंघल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी श्रीमहावीरजी हि01/2 के नाम स्वीकार की गई। तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 259– बेचान–06.10.2009 से दामोदर पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी के स्थान पर सम्पूर्ण किता 4 कुल रकबा 0.32 है0 की खातेदारी नन्दकिशोर पुत्र निरासीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी हि01/2 व राजेश सिंघल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी श्रीमहावीरजी हि01/2 के नाम स्वीकार की गई। तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 260– बेचान–06.10.2009 से सुरेश चन्द पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी के स्थान पर सम्पूर्ण किता 4 कुल रकबा 0.32 है0 की खातेदारी नन्दकिशोर पुत्र निरासीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी हि01/2 व लोकेश सिंघल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी श्रीमहावीरजी हि01/2 के नाम स्वीकार की गई।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2001 रकबा 0.15 है0, 2002 रकबा 0.15 है0, 2006/2817 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन की खातेदारी नंदकिशोर पुत्र निरासीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी हि01/2, लोकेश सिंघल पुत्र राधेश्याम जाति महाजन निवासी श्रीमहावीरजी हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2002/2809 रकबा 0.07 है0, 2003 रकबा 0.13 है0, 2005/2813 रकबा 0.01 है0, 2006/2816 रकबा 0.12 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन की खातेदारी राजेश सिंघल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन हि01/2, श्यामसुन्दर पुत्र निरासीलाल जाति ब्राहम्ण हि01/2 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2001/2807 रकबा 0.02 है0, 2002/2808 रकबा 0.12 है0, 2005/2814 रकबा 0.08 है0, 2006 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन की खातेदारी लोकेश सिंघल पुत्र राधेश्याम जाति महाजन निवासी श्रीमहावीरजी हिस्सा 1/2 श्यामसुन्दर पुत्र निरासीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी हि01/2 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2003/2811 रकबा 0.05 है0, 2006/2815 रकबा 0.07 है0, 2184/2819 रकबा 0.03 है0, 2852/2183 रकबा 0.03 है0, 2854/2183 रकबा 0.0944 कुल किता 5 कुल रकबा 0.2744 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन की खातेदारी नंदकिशोर पुत्र निरासीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी हि01/2, राजेश सिंघल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी श्रीमहावीरजी हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2184 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन की खातेदारी शम्भूदयाल पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2002/2810 रकबा 0.11 है0, 2003/2812, 2004 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह, 2005 रकबा 0.08 है0, 2006/2818 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन की खातेदारी अनिल कुमार पुत्र रामनिवास हि01/8, कमलादेवी पत्नि रामनिवास हि01/8, नारायणलाल पुत्र रामनिवास हि01/8, मोहनलाल पुत्र रामनिवास हि01/8, रमादेवी पुत्री रामनिवास हि01/8, विजयकृष्ण पुत्र रामनिवास

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हि01/8, वीरेन्द्र पुत्र रामनिवास हि01/8, सीमादेवी पुत्री रामनिवास हि01/8, जातियान ब्राहम्ण निवासीयान श्रीमहावीरजी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

अप्रार्थीगण/वादीगण ने मुकदमा नं0 13/2010 उनवानी दुर्गीदेवी बनाम दामोदर वगैराह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में दिनांक 12.03.2010 को पेश किया है। जिसमें प्रार्थीगण/ प्रतिवादी सं0 14 ता 17 पक्षकार मुकदमा हैं। प्रतिवादी सं0 14 ता 17 ने उक्त विवादित आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पूर्व के खातेदार दयानन्द, परसराम, दामोदर, सुरेश चन्द पिसरान चम्पालाल से खरीद किया तथा प्रार्थीगण/ प्रतिवादी सं0 14 ता 17 के द्वारा क्रय की गई भूमि की खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादी सं0 14 ता 17 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वकील प्रार्थीगण/ प्रतिवादी सं0 14 ता 17 ने प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे.1996 (एससी) पेज 85 , डी.एन.ज़े.2015 एस.सी. पेज 1088, डब्लू.एल.सी. 2016 (i) पेज 30 पेश किये हैं जो उक्त प्रकरण पर पूर्ण रूपेण चस्पा होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि मुकदमा नं0 66/2007 उनवानी दावा दामोदर बनाम शम्भूदयाल वगैराह न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन ने दिनांक 29.07.2008 को प्राथमिक डिकी पारित की गई तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 18.08.2008 को फाईनल डिकी जारी की गई है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीया/ वादी दुर्गीदेवी प्रतिवादी सं013 थी, जो बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुई। उक्त फाईनल डिकी दिनांक 18.08.2008 की अपील नारायणलाल के द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के यहॉ अपील संख्या 141/2008 उनवानी नारायणलाल बनाम दामोदर वगैराह पेश की। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने उक्त अपील में दिनांक 15.07.2009 को निर्णय व डिकी पारित करते हुए अपील खारिज कर दी गई तथा उपजिला कलक्टर हिण्डौन का निर्णय व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

डिक्री दिनांक 18.08.2008 को यथावत रखने के आदेश दिये गये। उक्त अपील में भी रेस्पोडेन्ट सं0 13 के रूप में प्रार्थीया/ वादीया दुर्गीदेवी पक्षकार थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा मुकदमा नं0 66/2007 उनवानी दावा दामोदर बनाम शम्भूदयाल वगैराह दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 18.08.2008 को पारित निर्णय व डिक्री आदिनांक तक प्रभावी है। जिसे किसी सक्षम न्यायालय ने अपास्त नहीं किया है। यदि वादीया दुर्गीदेवी को अपने पिता की सम्पत्ति में अधिकार चाहिए था तो उक्त मुकदमा नं0 66/2007 में पैरवी करती तथा उक्त निर्णय दिनांक 18.08.2008 को गलत हुआ है तो अप्रार्थीया/ वादीया दुर्गीदेवी को सक्षम न्यायालय में नियमानुसार उसकी अपील करनी चाहिए थी। इस प्रकरण उसी विवादित आराजीयात का पुनः दावा पेश नहीं करना चाहिए था। मुकदमा नं0 66/2007 उनवानी दामोदर बनाम शम्भूदयाल वगैराह दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा में प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.07.2008 के पश्चात इसी न्यायालय से उक्त प्रकरण में दिनांक 18.08.2008 को फाईनल डिक्री जारी की जा चुकी है और उसकी अपील भी माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के यहाँ पेश होने पर दिनांक 15.07.2009 को खारिज की जा चुकी है तथा मुताविक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2008 के आधार पर खातेदारी पृथक पृथक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है तथा पृथक पृथक खातेदारी दर्ज होने के उपरान्त उक्त विवादित आराजीयात के 2/3 हिस्से को अन्य दीगर व्यक्तियों को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान भी किया जा चुका है तथा उन रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर खातेदारी केतागण के हक में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त मुकदमा नं0 13/2010 उनवानी दुर्गीदेवी बनाम दामोदर वगैराह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं मुकदमा नं0 66/2007 उनवानी दामोदर बनाम शम्भूदयाल वगैराह दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा में समान पक्षकार, समान आराजीयात एवं समान विषय वस्तु हैं। मुकदमा नं0 13/2010 उनवानी दुर्गीदेवी बनाम दामोदर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वगैराह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा में दर्ज आराजीयात के बाबत् इसी न्यायालय से मुकदमा नं0 66/2007 उनवानी दामोदर बनाम शम्भूदयाल वगैराह दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 18.08.2008 को फाईनल डिक्री किया जा चुका है। इसीलिए इसी विवादित आराजीयात के बाबत् वादीगण/ प्रार्थीगण का मुकदमा नं0 13/2010 उनवानी दुर्गीदेवी बनाम दामोदर वगैराह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 11 सीपीसी " रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त " के आधार पर चलने योग्य नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। उक्त प्रकरण पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त पूर्ण रूपेण चस्पा होता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण/ प्रतिवादी सं0 14 ता 17 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का मुकदमा नं0 13/2010 उनवानी दुर्गीदेवी बनाम दामोदर वगैराह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 11 सी.पी.सी. के तहत रिजेक्ट किया जाकर खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण/ प्रतिवादी सं0 14 ता 17 की ओर से दिनांक 20.05.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का मुकदमा नं0 13/2010 उनवानी दुर्गीदेवी वगैराह बनाम दामोदर वगैराह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. के तहत रिजेक्ट किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनूपसिंह
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली